<u>न्यायालय अतिरिक्त व्यवहार न्यायाधीश वर्ग-2, आमला, जिला बैतूल</u> (पीठासीन अधिकारी – श्रीमती मीना शाह)

<u>व्य.वाद. क्रमांकः— 65ए / 16</u> संस्थापन दिनांकः—27 / 11 / 13 फाईलिंग नं. 233504000152013

- 1. सुक्कल उर्फ सुकलू वल्द उज्जन, उम्र 56 वर्ष
- 2. फुल्लो उर्फ कुल्लोबाई वल्द उज्जन, उम्र 50 वर्ष
- 3. नान्हीबाई वल्द उज्जन, उम्र 48 वर्ष
- 4. सन्नोबाई उर्फ संतोबाई वल्द उज्जन, उम्र 52 वर्ष सभी जाति गोंड, निवासी खजरी, तहसील आमला, जिला बैतूल (म.प्र.)

.....<u>वादीगण</u>

वि रू द्ध

- श्यामलाल वल्द उज्जन, उम्र 54 वर्ष जाति गोंड, निवासी खजरी, तससील आमला, जिला बैतूल (म.प्र.)
- उदयसिंह वल्द गजरसिंह, उम्र 53 वर्ष जाति गोंड, निवासी खजरी, तससील आमला, जिला बैतूल (म.प्र.) हाल मु. टिकारी, तहसील बरघाट, जिला सिवनी (म.प्र.)
- 3. मध्यप्रदेश शासन द्वारा कलेक्टर बैतूल (म.प्र.)

.....<u>प्रतिवादीगण</u>

<u>-: (आदेश) :-</u>

(आज दिनांक 27.08.2016 को पारित)

- 1 इस आदेश द्वारा वादीगण की ओर प्रस्तुत अंतरिम आवेदन कमांक—1 अंतर्गत आदेश 39 नियम 1 एवं 2 सहपठित धारा 151 सिविल प्रक्रिया संहिता का निराकरण किया जा रहा है।
- 2 आवेदन संक्षेप में इस प्रकार है कि वादी द्वारा प्रस्तुत आवेदन इस आशय का है कि वादीगण एवं प्रतिवादी क. 1 श्यामलाल सगे रिश्तेदार हैं तथा विवादित आराजी क. 335/1 रकबा 1.801 हे. स्थित ग्राम खजरी उनकी पैतृक आराजी है। वादीगण तथा प्रतिवादी क. 1 श्यामलाल अपने पिता उज्जन की मृत्यु उपरांत संयुक्त रूप से विवादित आराजी पर काबिज काश्तकार हैं। प्रतिवादी क. 2 ने संयुक्त शामलाती विवादित भूमि का विक्रय पत्र दिनांक 19.12.

2006 प्रतिवादी क. 1 से बिना वादीगण की जानकारी के अपने पक्ष में धोखा देकर निष्पादित करा लिया है जबिक विवादित भूमि पर उसका भी अंश एवं हित है। अतः यह विक्रय पत्र अवैध होकर उस पर बंधनकारी नहीं है तथा इस विक्रय पत्र से प्रतिवादी क. 2 उदयसिंह को कोई स्वत्व प्राप्त नहीं होता है। प्रतिवादी क. 2 उदयसिंह ने उपरोक्त विक्रय पत्र के आधार पर विवादित भूमि पर अपना नाम राजस्व अभिलेखों में दर्ज करवा लिया है तथा राजस्व अभिलेखों में प्रविष्टि के आधार पर विवादित भूमि पर वादीगण के आधिपत्य पर हस्तक्षेप करने तथा अन्यथा विक्रय किये जाने की धमकी दी जाती है। प्रथम दृष्ट्या प्रकरण, सुविधा का संतुलन एवं अपूर्तनीय क्षति का सिद्धांत वादीगण के पक्ष में है। अतः आवेदन स्वीकार कर प्रतिवादी क. 2 को विवादित आराजी पर उनके आधिपत्य में हस्तक्षेप एवं अन्यथा अंतरण से निषेधित किया जावे।

प्रतिवादी क. 2 की ओर से उपर्युक्त आवेदन का जवाब पेश कर यह लेख किया गया है कि वादीगण एवं प्रतिवादी क. 1 श्यामलाल की ग्राम खजरी में लगभग 21 एकड़ भूमि है जिसके संबंध में वादीगण के द्वारा वाद पत्र में लेख नहीं किया गया है। वादी क. 1 सुक्कल ने पूर्व में अपनी पैतृक आराजी में से श्रीमती जयवंतीबाई को आराजी नं. 338/1 में से कुछ रकबा विक्रय किया था जिसके संबंध में प्रतिवादी क. 1 श्यामलाल द्वारा कोई भी आपत्ति नहीं की गयी थी। प्रतिवादी क. 2 उदयसिंह को प्रतिवादी क. 1 श्यामलाल ने अपने हक एवं हिस्से की भूमि विक्रय की है जिस पर आपत्ति करने का वादीगण को कोई अधिकार नहीं है तथा प्रतिवादी क. 2 के पक्ष में निष्पादित विक्रय पत्र रिजस्टर्ड है जिसकी विधि मान्यता की उपधारणा की जायेगी। विक्रय पत्र निष्पादन दिनांक से ही प्रतिवादी क. 2 विवादित आराजी के आधिपत्य में है और उसका मकान भी बना हुआ है। राजस्व अभिलेखों में भी उसका नाम दर्ज है। अतः ऐसी स्थिति में आवेदक/वादीगण कोई भी अनुतोष प्राप्त करने के अधिकारी नहीं है। अतः आवेदन सव्यय निरस्त किया जावे।

4 आवेदन के निराकरण हेतु न्यायालय में समक्ष निम्न विचारणीय बिन्दु है :--

- 1. क्या वादीगण के पक्ष प्रथम दृष्टया मामला है ?
- 2. क्या सुविधा का संतुलन वादीगण के पक्ष में किया ?
- 3. क्या आवेदन निरस्त किए जाने से वादीगण को अपूर्तनीय क्षति होगी ?

निष्कर्ष एवं निष्कर्ष के आधार

विचारणीय प्रश्न क. 1 का निराकरण

- 5 आवेदन के समर्थन में वादी के द्वारा स्वयं का शपथ पत्र एवं विक्रय पत्र दिनांक 19.12.2006 की सत्यप्रतिलिपि तथा किश्तबंदी खतौनी वर्ष 2012—13 तथा खसरा वर्ष 2008 से 2013 आराजी नं. 36, 43, 208 के संबंध में प्रस्तुत किया है तथा विवादित आराजी नंबर 335 के संबंध में किश्तबंदी खतौनी एवं खसरा वर्ष 2013 प्रस्तुत किया है जिस पर भूमि स्वामी एवं आधिपत्यधारी के रूप में प्रतिवादी क. 2 उदयसिंह का नाम दर्ज है। प्रतिवादी के द्वारा अपने आवेदन के समर्थन में वर्ष 2005—06 की किश्तबंदी खतौनी, आराजी नं. 36, 43, 208, 335, 338 के संबंध में प्रस्तुत की है तथा संशोधन पंजी वर्ष 2007 एवं खसरा वर्ष 2012 विवादित आराजी नं. 335 के संबंध में प्रस्तुत किया है।
- 6 वादीगण द्वारा इस आधार पर दावा प्रस्तुत किया गया है कि विवादित आराजी नं. 335 उनके तथा प्रतिवादी क. 1 के संयुक्त शामीलाती पैतृक भूमि है तथा उक्त विवादित भूमि के संपूर्ण रकबे का विकय पत्र प्रतिवादी क. 2 के द्वारा प्रतिवादी क. 1 से निष्पादित करवा लिया गया है जबकि उनका भी विवादित भूमि पर हक एवं हित होकर आधिपत्य है।
- जबिक प्रतिवादी क. 2 ने अपने आवेदन में यह लेख किया है कि प्रतिवादी क. 1 ने अपने अंश व हक की भूमि का विक्रय पत्र दिनांक 19.12.2006 को निष्पादित किया तब से वह विवादित भूमि के आधिपत्य में चला आ रहा है तथा राजस्व अभिलेखों में उसका नाम भी दर्ज है।
- 8 वादी की ओर से प्रस्तुत दस्तावेज ग्राम खजरी के खसरा वर्ष 2008 से 2013 एवं किश्तबंदी खतौनी वर्ष 2012—13 जो कि आराजी नं. 36, 43, 208 के अवलोकन से यह दर्शित होता है कि उक्त भूमियां वादीगण एवं प्रतिवादी क. 1 श्यामलाल के नाम शामीलाती दर्ज है तथा प्रतिवादी क. 2 की ओर से आराजी नं. 335 के संबंध में प्रस्तुत दस्तावेज संशोधन पंजी वर्ष 2007 एवं वर्ष 2011—12 के खसरा के अवलोकन से विवादित आराजी पर प्रतिवादी क. 2 उदयसिंह का नाम दर्ज होना दर्शित है। प्रतिवादी क. 2 की ओर से ही प्रस्तुत दस्तावेज वर्ष 2005—06 जो कि आराजी नं. 36, 43, 208, 335, 338 से संबंधित हैं, उन पर सुक्कल, अन्य वादीगण एवं प्रतिवादी क. 1 श्यामलाल का नाम भूमि स्वामी के रूप में दर्ज है। विक्रय पत्र दिनांक 19.12. 2006 का है। इस प्रकार स्वयं प्रतिवादी के द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज से विवादित आराजी 335 वर्ष 2006 में वादीगण एवं प्रतिवादी क. 1 के नाम संयुक्त

शामीलाती दर्ज होना प्रकट हो रही है।

- 9 प्रतिवादी क. 2 के अधिवक्ता के द्वारा यह तर्क प्रकट किया गया है कि वादीगण ने अपने वाद पत्र में उनकी समस्त पैतृक भूमियों के संबंध में उल्लेख नहीं किया है केवल विवादित आराजी नं. 335 का ही उल्लेख किया है। वादी ने न्यायालय में जानकारी छिपायी है। वादी स्वच्छ हाथों से न्यायालय में नहीं आया है। अतः वह कोई भी अनुतोष पाने का अधिकारी नहीं है।
- प्रितवादी अधिवक्ता के उक्त तर्क के परिप्रेक्ष्य में वादीगण ने अपने वाद पत्र के पैरा क. 1 में यह उल्लेख किया है कि उनकी चल अचल संपत्ति ग्राम खजरी में स्थित है। वादीगण के द्वारा अपने दावे के समर्थन में एवं पैतृक भूमियों के वादीगण एवं प्रतिवादी क. 1 के संयुक्त शामीलाती होने के संबंध में दस्तावेज प्रस्तुत किये गये हैं। अतः ऐसी दशा में यह नहीं कहा जा सकता है कि वादीगण के द्वारा किसी तथ्य को छिपाया गया है। अतः प्रतिवादी अधिवक्ता का तर्क सारहीन होने से निरस्त किया जाता है।
- 11 प्रकरण में प्रतिवादी क. 1 श्यामलाल एकपक्षीय रहा है। वादीगण ने विवादित भूमि 335 पर अपने पिता के जीवन काल से लगभग 20 वर्षों से अपना आधिपत्य होना बताया है। वादीगण ने विवादित आराजी पर अपना आधिपत्य होना बताते हुए मात्र स्वत्व घोषणा एवं स्थायी निषेधाज्ञा हेतु दावा प्रस्तुत किया है। स्वयं प्रतिवादी क. 2 की ओर से प्रस्तुत दस्तावेज वर्ष 2005—06 की किश्तबंदी खतौनी के अवलोकन से विक्रय पत्र दिनांक 19.12. 2006 के पूर्व विवादित आराजी वादीगण एवं प्रतिवादी क. 1 के नाम दर्ज होना प्रकट हुआ है। विक्रय पत्र की वैधता के संबंध में निर्धारण इस स्तर पर नहीं किया जा सकता है। यह साक्ष्य की विषय वस्तु है। अतः उक्त विक्रय पत्र के आधार पर प्रतिवादी क. 2 उदयसिंह के नाम पर राजस्व अभिलेखों में प्रविष्टि से उदयसिंह के पक्ष में कोई भी उपधारणा इस स्तर पर नहीं की जा सकती है। विक्रय निष्पादन के समय विवादित आराजी एकमात्र प्रतिवादी क. 1 के स्वत्व की होना प्रथम दृष्ट्या परिलक्षित नहीं हो रहा है। ऐसी स्थित में विक्रय पत्र दिनांक 19.12.2006 को शून्य घोषित करवाये जाने के संबंध में प्रथम दृष्टया मामला वादीगण के पक्ष में प्रमाणित पाया जाता है।

विचारणीय प्रश्न क. 2 एवं 3 का निराकरण

12 विवादित भूमि आराजी नं. 335 में वादीगण का आधिपत्य प्रमाणित पाया गया है ऐसे में यदि वादीगण को उनके आधिपत्य से वंचित किया जाता है तो यह वादीगण के लिए असुविधापूर्ण होगा। साथ ही यदि प्रतिवादी कृ. 2 के द्व ारा विवादित भूमि का विकय किया जाता है तो वादीगण को भूमि कृय करने वाले केता को भी प्रकरण में पक्षकार बनाना होगा। ऐसे में वाद बाहुल्यता को बल मिलने की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता है। यदि विक्रय को निषेधित किया जाता है तो अनावेदकगण / प्रतिवादीगण के विवादित भूमि में हक या प्रास्थिति पर कोई प्रभाव पड़ने की संभावना नहीं है क्योंकि उनके द्वारा विक्रय की कोई आवश्यकता प्रकट नहीं की गयी है, जबिक गुणो—दोषों के आधार पर यदि प्रतिवादी क. 2 का आधिपत्य पाया जाता है तो उसकी प्रतिपूर्ति धन के रूप में करायी जा सकती है। अतः सुविधा का संतुलन एवं अपूर्तनीय क्षति का सिद्धांत वादीगण / आवेदकगण के पक्ष में दर्शित होता है।

13 प्रथम दृष्टया मामला सुविधा का संतुलन एवं अपूर्तनीय क्षति का सिद्धांत आवेदकगण के पक्ष में प्रमाणित पाया जाता है। अतः वादीगण द्वारा प्रस्तुत आवेदन अंतर्गत आदेश 39 नियम 1 व 2 सहपिठत धारा 151 सी.पी.सी. आई.ए.नं. 1 स्वीकार कर प्रतिवादी कृ. 2 को निर्देशित किया जाता है कि वह प्रकरण के अंतिम निराकरण तक विवादित भूमि आराजी नं. 335 रकबा 1.801 हे. स्थित ग्राम खजरी, तहसील आमला जिला बैतूल में स्वयं अथवा अभिकर्ता के माध्यम से वादीगण के आधिपत्य में हस्तक्षेप एवं विवादित आजाजी का विक्रय अथवा अन्यथा अंतरण न करें।

14 आवेदन का निराकरण का प्रकरण के गुण—दोष के आधार पर पारित निर्णय पर कोई प्रभाव नहीं होगा। आवेदन के निराकरण का व्यय प्रकरण के परिणाम पर निर्भर करेगा।

आदेश खुले न्यायालय में हस्ताक्षरित तथा दिनांकित कर पारित । मेरे निर्देशन पर मुद्रलिखित।

(श्रीमती मीना शाह) अतिरिक्त व्यवहार न्यायाधीश वर्ग—2, आमला, जिला बैतूल (श्रीमती मीना शाह) अतिरिक्त व्यवहार न्यायाधीश वर्ग–2, आमला, जिला बैतूल